

दना होता है और व्यापारिक इलाकह मुख्य
विचारणीय विषय बहलना चाहिए कि किस प्रकार
में अग्रिम चरण द्वारा किया गया है।

हस्तगारपत्रों में यह सुस्पष्ट है कि
अविज्ञ पत्नरगरी बाजार क्षेत्र किया गया है जिसमें
निधमानुसार सीमांतान की कार्यवाही पर पत्नरगरी
का आदेश देना किया गया है, अविज्ञ विधि लागू
है। अतः आदेश 03R 11, प्रकरण पर लागू
नहीं होता है, खारिज किया जाता है। पत्राकारी
वास्तु अवश्य दिनांक 21/11/20 को देना है।

24/12/20 प्रा.क. प्रेष / अ.दि. उपयुक्त धारि /
अवश्य कार्यवाही न. 1, 2, 4, 5 को करके
पत्र / कथ अ.दि उपयुक्त धारि ग. ध. प्रा.क.
वास्तु को अ.दि 6/11/20 को देना है।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

6/12 प्रा.क. प्रेष / अ.दि. उपयुक्त धारि / अ.दि प्रेष
पर कथ अ.दि उपयुक्त धारि ग. ध. प्रा.क. पा
ननन किया गया। प्रेषण - प्रेष धारि अ.दि
सीकर किया जाता है निर्णय क.क. न. 1/11/20
याकि आदि प्रा.क. प्रेष / प्रा.क. प्रेष
अ.दि 6/11/20 को देना है। अ.दि 6/11/20
है। निर्णय अ.दि 6/11/20 को देना है।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर